न्यायालय जिला कलक्टर, कोटपूतली–बहरोड (राज0)

ासीन अधिकारी : कल्पना अग्रवाल (I.A.S)
फाल अपील : 201/2023 (11/86/2023)
ख रजू : 21.09.2023 (27.07.2023)
िय दिनांक : 01.10.2024

उनवान :

रामनिवास पुत्र देवी सहाय जाति अहीर निवासी परतापुर तहसील नीमराणा जिला अलवर नया जिला कोटपूतली–बहरोड राज0। **.....अपीलाण्ट**

बनाम

बसन्ती पत्नी चन्द्रभान जाति अहीर निवासी परतापुर तहसील नीमराणा जिला अलवर नया जिला कोटपूतली–बहरोड राज0। **(मृतक)**

/1 चन्द्रभान पुत्र चिरंजीलाल जाति अहीर निवासी परतापुर तहसील नीमराणा जिला अलवर नया जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।

/2 रविन्द्र पुत्र चन्द्रभान जाति अहीर निवासी परतापुर तहसील नीमराणा जिला अलवर नया जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।

/3 मनोज कुमार पुत्र चन्द्रभान जाति अहीर निवासी परतापुर तहसील नीमराणा जिला अलवर नया जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।

/4 निर्मला पुत्री चन्द्रभान जाति अहीर निवासी परतापुर तहसील नीमराणा जिला अलवर नया जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।

. भाति पुत्री स्व0 सरवण जाति अहीर निवासी ग्राम रिवाली तहसील बहरोड जिला अलवर नया जिला कोटपूतली–बहरोड राज0 हाल पत्नि जगदीश अहीर निवासी शेरपुर तहसील बहरोड़ जिला अलवर राज0

3. जगदीश पुत्र प्रभुदयाल जाति अहीर निवासी सीम्हा तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ हरियाणा। **(मृतक)**

4. दिनेश पुत्र स्व0 जगदीश माता का नाम शान्ति जाति अहीर निवासी सीम्हा तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ हरियाणा।

5. दया पुत्री स्व0 जगदीश माता का नाम शान्ति जाति अहीर निवासी सीम्हा तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ हरियाणा हाल पत्नि जोगेन्द्र अहीर निवासी ग्राम गण्डाला तहसील बहरोड़ जिला अलवर राज0

6. तहसीलदार नीमराना जिला अलवर नया जिला कोटपूतली–बहरोड़।

.....रेस्पोडेन्टान

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 15.06.2016 तहसीलदार नीमराना बाबत नामान्तकरण संख्या 449 वाके मौजा परतापुर तहसील नीमराना बमुराद मंजूरी अपील व निरस्त किये जाने नामान्तकरण आदेश दिनांक 15.06.2016.

उपस्थिती :

1. श्री हरद्वारी लाल शर्मा अपीलाण्ट की ओर से
2. श्री मनीष कुमावत रेस्पोडेन्टान संख्या 1 से 5 तक की ओर से

न्यायालय जिला कलक्टर सत्यमेव जयते कोटपूतली–बहरोड (राज.)

।। निर्णय ।।

राजस्व विभाग राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 05.08.2023 के अनुसार दिनाक 07.08.2023 से नवजिला कोटपूतली–बहरोड का सृजन किये जाने से उक्त अनुवानी पत्रावली

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़

ग्रायल जिला कलक्टर प्रथम अलवर से स्थानान्तरण होकर इस न्यायालय को प्राप्त होने पर वली को दिनांक 21.09.2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पक्षकारान को जरिये नोटिस तलब ा गये। बाद तलवी उभय पक्षकार की ओर से अधिवक्तागण द्वारा वकालतनामा पेश किया गया।

पत्रावली के सुक्षम वृतान्त निम्न प्रकार है कि यह कि नामान्तकरण सं 449 आदेश दिनांक 06.2016 तहसीलदार नीमराणा गलत, खिलाफ कानून, खिलाफ मौका, खिलाफ वाक्यात व लाफ रूह–ए–दाद मिशल है। हर सूरत में निरस्तनीय है। एक डिक्री मान्य न्यायालय अपर ला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक) बहरोड द्वारा 08.04.2005 को पारित की गई थी। जिसके लाफ अपीलाण्ट रामनिवास ने मान्य उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच में अपील दायर की थी, जिसमें य उच्च न्यायालय ने दिनांक 29.04.2005 को निर्णय व डिक्री दिनांक 08.04.2005 की क्रियान्विती गित कर दी गई थी। सहवन से मान्य उच्च न्यायालय ने पिटीशनर द्वारा पेश की अपील smiss and Default हो गई थी, जो मान्य उच्च न्यायालय द्वारा पिटीशनर की प्रार्थना पर नांक 03.06.2016 को पुनः अपील को रिस्टोर कर दिया और यह आदेश श्रीमति बसंती देवी के ील श्री अनिल जैन की हाजिरी में सुनाया गया, जिसका मतलब ये हुआ कि मान्य उच्च न्यायालय आदेश 03.06.2016 का बखूबी इल्म श्रीमति बसंती देवी को था। बावजूद इसके बसंती देवी व के चालाक वकील ने अदालत में रेस्टोरेशन के आदेश को छुपाकर दिनांक 06.06.2016 को अवैध त्रुटिपूर्ण ढंग से रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र तस्दीक करवा लिया और कार्यवाही इजरा न्यायालय अपर ला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक) बहरोड में दिनांक 05.07.2016 को समाप्त करवा ली। इस ाम कार्यवाही इजरा बाबत आदेश दिनांक 05.07.2016 का रिव्यू पिटीशन अपीलाण्ट पिटीशनर रा संबंधित न्यायालय में पेश कर दिया गया है, जो पेंडिंग है। रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र दिनांक 06.2016 जो सरासर गलत है व मान्य उच्च न्यायालय में अपील के पेंडिंग रहते करवाया है। सीलदार नीमराणा बाबत नामान्तकरण संख्या 449 दिनांक 15.06.2016 झूठ के तथ्यों पर आधारित और जल्दबाजी में भ्रष्टाचार के आधार पर यह आदेश पारित किया गया है। आदेश में तहसीलदार मान्य न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक) बहरोड के द्वारा आदेश होना बताया जबकि इस प्रकार का कोई आदेश तहसीलदार के नाम बाबत इंतकाल संख्या 449 किसी भी का–ए–मिशल पर मौजूद नही है। तहसीलदार नीमराणा बाबत नामान्तकरण संख्या 449 ने पारित रते समय जल्दबाजी में मौका की कब्जे की रिपोर्ट तक नही ली, जबकि मौका पर पिटीशनर ीलाण्ट रामनिवास काबिज है। तहसीलदार ने जल्दबाजी करके भ्रष्टाचार के आधार पर ये मान्तकरण संख्या 449 तस्दीक किया है। ये नामान्तकरण बिना अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ास्ट ट्रैक) बहरोड के आदेश के तस्दीक किया, जो हर हालत में, हर सूरत में रद्द किये जाने ग्य है।

प्रकरण में उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

वकील अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया क आदेश दिनांक 15.06.2024 तहसीलदार नीमराना बाबत नामान्तकरण संख्या 449 प्रिंसीपल ऑफ चुरल जस्टिस के खिलाफ है, प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ है। महावीर प्रसाद की त्यु 1998 मे हुई एवं महावीर प्रसाद के कोई वारिस नहीं था अतः फौतगी म्युटेशन संख्या 136 दिनांक 01.10.1999 रामनिवास के नाम खुला। नामान्तकरण संख्या 136 की अपील बसन्ती न्यायालय पखण्ड अधिकारी बहरोड़ में की गई जो उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ ने दिनांक 09.01.2018 को ारिज की थी। बसन्ती ने न्यायालय एडीजे बहरोड़ में दावा पेश किया जो वादिया के हक में डिक्री होने पर न्यायालय एडीजे के विरूद्ध माननीय न्यायालय उच्च न्यायालय में अपील की गई था न्यायालय एडीजें के आदेश को स्थगित किया गया। दस वर्ष तक स्थगन रहने के बाद प्रकरण नदम हाजरी में खारिज हो गया। दिनांक 03.06.2016 को प्रकरण पुनः दर्ज हुआ तथा स्थगन ादेश रिस्टोर हुआ जिसकी सूचना तहसीलदार बहरोड़ को दी गई। परन्तु तहसीलदार ने इस का ंकन जमाबंदी में नहीं किया व मिलिभगत से भूमि का बेचान होकर नामान्तकरण संख्या 449 देनांक 15.06.2016 तस्दीक होने के बाद स्थगन का रिकार्ड में इन्द्राज किया गया। नामान्तकरण संख्या 136 जब तक निरस्त नहीं होता तब तक नये व्यक्ति के नाम नामान्तकरण नहीं खुल सकता।

सत्यमेव जयते

जिला-कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़

I डिक्री के आधार पर नामान्तकरण खोला गया है वह उच्च न्यायालय से स्थगित था, स्टे के जूद नामान्तकरण खोला गया है। प्रकरण में उच्च न्यायालय में कार्यवाही वर्तमान में भी जैरकार इस प्रकार नामान्तकरण गलत होने से तहसीलदार नीमराना द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या दिनांक 15.06.2016 निरस्त फरमाया जावें। वकील अपीलाण्ट ने प्रकरण के पक्ष में आरआरडी 9 पेज नं0 771, आरआरडी 1994 पेज नं0 503 की नजीरे पेश कर अपील अपीलाण्ट स्वीकार ये जानो का निवेदन किया।

वकील रेस्पोडेन्ट ने उपस्थित होकर वकील अपीलाण्ट के कथनों को अस्वीकार करते निवेदन किया कि नामान्तकरण संख्या 449 दिनांक 15.06.2016 माननीय न्यायालय अपर जिला सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक), संख्या 02 बहरोड़ अलवर के डिक्री दिनांक 08.04.2005 के आधार रजिस्ट्री हुई व रजिस्ट्री के आधार पर नामान्तकरण दर्ज किया गया है। वकील रेस्पोडेन्ट ने नी जिरह में जाहिर किया कि नामान्तकरण संख्या 449 तस्दीक के समय प्रकरण में कोई गन आदेश प्रभावी नही था। अन्त में वकील रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में नजीर पेश करते हुए हिर किया कि रजिस्ट्री केवल सिविल न्यायालय ही निरस्त कर सकता है। वकील रेस्पोडेन्ट ने 018 (2) आरआरटी पेज नं0 1552 की नजीर पेश कर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाने का विदन किया।

हमने वकुलाय की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनता अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रकंरण में न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट क), संख्या 02 बहरोड़ अलवर के आदेश के विरूद्ध अपीलाण्ट के द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय अपील की गई तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अपील खारिज होने पर दिनांक 3.06.2016 को माननीय उच्च न्यायालय ने कंडीशनल आदेश के साथ प्रकरण रिस्टोर के आदेश ारित किये गये जिसकी पालना में अपीलाण्ट के द्वारा दिनांक 04.07.2016 को राशि जमा कराई ाई। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा इंतकाल संख्या 449 दिनांक 15.06.2016 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक), संख्या 02 बहरोड़ अलवर के निर्णय/बेचान की पालना में नामान्तकरण तस्दीक किया गया है तथा नामान्तकरण संख्या 449 दिनांक 15.06.2016 तस्दीक के समय प्रकरण में कोई स्थगन आदेश नही होना साबित होता है। तहत के द्वारा पारित आदेश विधिवत कार्यवाही किया जाना साबित होता है। अपीलाण्ट के द्वारा वर्णित तथ्य प्रकरण में चस्पा नहीं होते है जबकि वकील रेस्पोडेण्ट की बहस प्रकरण में पूर्ण रूप से चस्पा होती है। इस प्रकार अपील अपीलाण्ट साबित नहीं होने के कारण खारिज होने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलाण्ट की अपील खारिज की जाती है। निर्णय पत्रावली में संलग्न किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल रिकॉर्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 01.10.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर कोटपूतली-बहरोड़ (राज.) सत्यमेव जयते

(कल्पना अग्रवाल)
I.A.S
जिला कलक्टर
कोटपूतली-बहरोड़